कार्यालय--निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा--माध्य/मा/मोनिटरिंग/बोर्ड परीक्षा निर्देश/2019/104 दिनांक : 8.3.2019

महत्वपूर्ण अत्यावश्यक

(1) समस्त सम्भागीय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा
(2) समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं
पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान।
(3) समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय)--माध्यमिक/प्रारम्भिक
(4) समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं
पदेन ब्लॉक सन्दर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा अभियान।

विषयः-- माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा आयोज्य माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक परीक्षा--2019 के सुचारू संचालन एवं समुचित व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में दिशा--निर्देश।

प्रसंगः-- इस कार्यालय के पत्र क्रमांकः शिविरा--माध्य/मा/मोनिटरिंग/बोर्ड परीक्षा निर्देश/2019/77 दिनांक 22.2.19

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासांगिक पत्र द्वारा बोर्ड परीक्षा 2019 के संचालन हेतु जारी दिशा--निर्देशो के क्रम में निम्नांकित निर्देश और जारी किये जाते है :--

1. परीक्षा केन्द्र का मुख्यद्वार खुला रखा जावें अथवा वहां परीक्षा के दौरान अनिवार्यतः कोई कार्मिक तैनात हो, जिससे बोर्ड परीक्षा उड़न दस्ते के केन्द्र में प्रवेश पर कोई बाधा न हो, साथ ही अवांछित व्यक्तियों अथवा पशुओं का प्रवेश न हों।
2. परीक्षा कार्य हेतु आवश्यक वीक्षको का आंकलन पूर्व में ही किया जाकर, अन्य विद्यालयों से वीक्षको की आवश्यकता पर मांग की जावें तथा पहले विद्यालय के शिक्षकों को वीक्षक कार्य दिया जावें। अतिरिक्त आवश्यकता होने पर अन्य पास के विद्यालय के शिक्षकों को वीक्षक कार्य में लगाया जावें। ऐसे अध्यापक वीक्षक कार्य से मुक्त होने की स्थिति में स्वयं के विद्यालय में शिक्षण कार्य करेंगे।
3. परीक्षा अवधि में केन्द्र के परीक्षा परिसर में परीक्षा कार्य में नियुक्त कार्मिकों के अतिरिक्त अन्य कार्मिक नहीं रहें।
4. केन्द्राधीक्षक व अतिरिक्त केन्द्राधीक्षक भी आवश्यक परीक्षा सम्बन्धी कार्यो के अलावा अन्य समय परीक्षा के पर्यवेक्षण हेतु परिसर एवं परीक्षा कक्षों का गहन पर्यवेक्षण करेंगें।
5. उड़न--दस्तों के लिए नियत कार्मिकों के अलावा परीक्षा केन्द्र में अन्य साथी या वाहन चालक प्रवेश नहीं करेंगें।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक,माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि :-- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:--

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग राजस्थान जयपुर।
2. निदेशक प्रारिम्भक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
3. समस्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट।
4. सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
5. विशेषाधिकारी एवं मुख्य नियन्त्रक परीक्षा, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
6. सिस्टम एनेलिस्ट कम्प्युटर अनुभाग कार्यालय हाजा को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. समस्त संस्था प्रधान (शालादर्पण अनुभाग के माध्यम से)
8. रक्षित पत्रावली।

उप निदेशक(माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर